



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 452 राँची, गुरुवार, 20 आषाढ़, 1946 (श०)
11 जुलाई, 2024 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

11 जुलाई, 2024

संख्या-08/न्या०मा०-02/2023 न०वि०आ०-2630--विभागीय अधिसूचना संख्या-4038, दिनांक-17.12.2021 द्वारा श्री वेद प्रकाश सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-39, राँची नगर निगम के विरुद्ध शिकायतकर्ता श्री अभिषेक कुमार, पिता-स्व० नरसिंह प्रसाद से प्राप्त परिवाद पर जाँच पदाधिकारी द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-18 (2), 543 (1) एवं धारा-584 (1) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम-3.11 के अधीन दोषी पाये जाने के कारण श्री वेद प्रकाश सिंह, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-39, राँची नगर निगम को वार्ड पार्षद के पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए पद मुक्त कर दिया गया था।

2. वाद संख्या- WP(C) No.-5616/2021 के दिनांक-27.07.2022 को पारित आदेश द्वारा विभागीय अधिसूचना-4038, दिनांक-17.12.2021 को निरस्त किया गया है ।
3. Cont. case (C) No.-683/2022, Ved Prakash Singh V/s. The State of Jharkhand में दिनांक- 20.06.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में अग्रतर कार्रवाई हेतु नगर आयुक्त, राँची नगर निगम को निदेशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव ।
